भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 125

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

पीएम-एसवाईएम के तहत व्यय में गिरावट

125. **श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत व्यय 2021-22 में 324 करोड़ रुपये से घटकर 2024-25 में 137 करोड़ रुपये रह जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त अवधि के दौरान लाभार्थियों के नामांकन में कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 2021-22 से 2024-25 तक आंध्र प्रदेश से पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत कितने नामांकन हुए हैं;

(घ) इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच जागरूकता फैलाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि पात्रता सीमा को 15,000/-रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग की गई है ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को इसके अंतर्गत लाया जा सके, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए फरवरी, 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, असंगठित श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3000/-रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के कामगार जिनकी मासिक आय 15000/-रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं या आयकर दाता नहीं है, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान 55/- रुपये से 200/-रुपये तक होता है जो लाभार्थी की प्रवेश आयु पर निर्भर करता है। इस

योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार द्वारा इसके बराबर के अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस योजना में नामांकन, सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है जिसका देश भर में लगभग 4 लाख केन्द्रों का नेटवर्क है। पात्र असंगठित श्रमिक www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर स्व-नामांकन भी कर सकते हैं।

मांग आधारित योजना होने के कारण, इस योजना में व्यय, लाभार्थियों से प्राप्त समान समान हिस्से के बराबर की राशि के अनुसार है। वित्तीय वर्ष-वार कुल व्यय का विवरण इस प्रकार है

वित्तीय वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	324.23
2022-23	269.91
2023-24	162.51
2024-25	232.11

2021-22 से 2024-25 तक पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकन का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	कुल नामांकन	आंध्र प्रदेश में नामांकन
2021-22	1,28,369	1,567
2022-23	2,72,494	17,800
2023-24	65,775	627
2024-25	1,27,436	281

इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए कामगारों के बीच जागरूकता फैलाने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

(i) राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
(ii) राज्य सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) प्रमुखों के साथ बैठक।
(iii) नई सुविधाओं की शुरूआत: स्वैच्छिक निकास, रिवाइवल माड्यूल, दावा स्थिति और लेखा विवरण।
(iv) निष्क्रिय खातों के रिवाइवल की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करना।
(v) पीएम-एसवाईएम और ई-श्रम का दोतरफा एकीकरण।
(vi) जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान।
(vii) पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकन के संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को संबोधित करना।

वर्तमान में इस समय इस योजना की न्यूनतम पात्रता सीमा को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

******